पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2009 ई0 (भाद्रपद 21, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–37

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	375–378	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	279–282	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

प्रोन्नति

विज्ञप्ति

03 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 1340/XXX–1–09–25(4)/2008 TC–उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के चयन श्रेणी वेतनमान रु0 15,600–39,100+ग्रेड पे 7,600 में कार्यरत श्री सुशील कुमार को श्री राज्यपाल महोदय, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान पद पर ही उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) विशेष चयन श्रेणी वेतनमान रु0 37,400–67,000+ग्रेड पे 8,700/– में पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

03 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 1341/XXX–1–09–25(4)/2008 TC–उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान रु0 15,600–39,100+ग्रेड पे 6,600 में कार्यरत श्री भूपाल सिंह मनराल को श्री राज्यपाल महोदय, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान पद पर ही उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) चयन श्रेणी वेतनमान रु0 15,600–39,100+ग्रेड पे 7,600/– में पदोन्नति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

26 अगस्त, 2009 ई0

संख्या 321/XXXVI(3)/2009–श्री राज्यपाल, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री नरेन्द्र कुमार पन्त, उपविधि आलेखक, वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड पे रु0 6600/– को विधायी प्रकोष्ठ में नवसृजित पद मुख्य विधि आलेख अधिकारी, वेतनमान रु0 15600–39100 ग्रेड पे रु0 7600/– के रिक्त पद पर मुख्य विधि आलेख अधिकारी के नियमित चयन होने तक शासनादेश संख्या 146/xxxvi(3)/2008, दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में दिए गए कार्यों के निर्वहन हेतु प्रभारी के रूप में नियुक्ति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस हेतु श्री पन्त को अतिरिक्त रूप से वेतन, भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे परन्तु मुख्य विधि आलेख अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

आज्ञा से,

वी0 बी0 राय,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

नियुक्ति

26 अगस्त, 2009 ई0

संख्या 406/XX(5)09–31/होगा0/2005–रिट याचिका संख्या 208 (एस0बी0)/2007 ओम प्रकाश बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–12–2008 के अनुपालन में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री इन्द्र पाल सिंह, निवासी–ग्राम मुंडिया कला, पोस्ट–बाजपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) को श्री राज्यपाल महोदय होमगार्ड्स विभाग, उत्तराखण्ड में जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स सेवा नियमावली, 1982 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तों, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी के अधीन वेतनमान रु0 15600–39100 सादृश्य, ग्रेड पे रु0 5400 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर रखते हैं :–

1–उक्त नियुक्ति पूर्णतया औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2–अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पर कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स को रिपोर्ट करना होगा जहां से उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण प्रशासनिक अकादमी के मानक के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यर्थी को विभागीय, व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित जनपदों में तैनाती हेतु योगदान करना होगा।

3–कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उक्त अभ्यर्थी द्वारा निम्न सूचनायें/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे तदोपरान्त ही उनकी योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी :–

3.1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रारूप में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

3.2 अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

3.3 समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण, जिसके वे स्वामी हों।

3.4 एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

3.5 इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

3.6 दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र।

3.7 शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं एक–एक प्रमाणित प्रति।

3.8 लिखित रूप में एक "Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के उपरान्त उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाये।

3.9 भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ–पत्र।

4–परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

अतः उक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक दशा में दिनांक 10–09–2009 तक कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / त्याग–पत्र

21 अगस्त, 2009 ई0

संख्या 1413 / तीस–1–2009–25(2) / 2009–श्री नीरज कुमार बक्शी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल के पत्र दिनांक 06–07–2009 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 2305 / XIV–29 / Admin.A / 2008, दिनांक 10 जुलाई, 2009 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, श्री नीरज कुमार बक्शी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल का त्याग–पत्र दिनांक 06–07–2009 अपरान्ह से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

आबकारी अनुभाग

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

09 जून, 2009 ई0

संख्या 427 / XXIII/09 / 40 / 2004–तात्कालिक प्रभाव से डॉ0 के0 बी0 जौहरी, उप आबकारी आयुक्त को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संयुक्त आबकारी आयुक्त के सामान्य श्रेणी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रुपये 7600 / – के पद पर वर्तमान तैनाती स्थल आबकारी आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में ही मौलिक रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–डॉ0 के0 बी0 जौहरी, को संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट / 449–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2009 ई0 (भाद्रपद 21, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 19, 2009

No. 144/UHC/XIV/63/Admin.A--Km. Neetu Joshi, the then Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 04 days *w.e.f.* 07.07.2009 to 10.07.2009 with permission to suffix 11.07.2009 and 12.07.2009 as 2nd Saturday and Sunday holidays.

August 21, 2009

No. 146/XIV/11/Admin.A/2008--Sri Ritesh Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Almora, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 11.06.2009 to 20.06.2009 with permission to suffix 21.06.2009 as Sunday.

August 21, 2009

No. 147/XIV/12/Admin.A/2008--Sri Ashutosh Kumar Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, Distt. Tehri Garhwal, is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 06.07.2009 to 15.07.2009.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

August 24, 2009

No. 148/UHC/Stationery/2009--Holiday of Nandashtami shall be observed in the Court on Friday, August 28, 2009 instead of Thursday, August 27, 2009. The Court shall remain open on Thursday, August 27, 2009.

By Order of the Court,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

August 24, 2009

No. 149/UHC/Admin.A/2009--Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Champawat is transferred and posted as District & Sessions Judge, Almora *vice* Sri Rajendra Prasad Pandey.

August 24, 2009

No. 150/UHC/Admin.A/2009--Sri Dinesh Prasad Gairola, District & Sessions Judge, Pithoragarh is also given additional charge of District & Sessions Judge, Champawat in addition to his duties with a direction to hold the Court of District & Sessions Judge, Champawat at Champawat for a week in a month till further orders.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

August 25, 2009

No. 151/UHC/XIV-91/Admin.A--Sri Seash Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 01.08.2009 to 10.08.2009.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

August 25, 2009

No. 152/UHC/Admin.A/2009--In exercise of the powers conferred by Rule 27(ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand is pleased to grant the Super Time Scale of Rs. 22,850-500-24,850 to the following officers after completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre from the date noted against their names :--

Sl. No.	Name of the Officer	Date of grant of Super Time Scale
1.	Sri Ram Ratan Agarwal	28.08.2008
2.	Sri Servesh Kumar Gupta	01.12.2008
3.	Sri Umesh Chandra Dhyani	01.04.2009

August 25, 2009

No. 153/UHC/Admin.A/2009--Ms. Kumkum Rani is hereby confirmed in Uttarakhand Higher Judicial Service, subject to the adjustment of her seniority.

By Order of the Court,

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

August 26, 2009

No. 154/UHC/Admn.A

CHAPTER XLI

Arrangement, Preservation and Destruction of records.

Rule1-- Division of record into parts--Record in all cases, shall be maintained into two parts to be called Part A and Part B.

Rule 2-- General Index--

(i) In every case a General Index in the following Proforma shall be maintained and every paper of the case as soon as it comes on record shall be entered in the General Index by the concerned official handling the record at that time :--

S.N.	Part to which it belongs	Short Description of the paper	No. of pages	Stamps, if any	Date of filing	Remark

(ii) In case any document is returned to a party a note to that effect shall be made by red ink in the general index also apart from the ordersheet.

Rule 3-- Contents of Part A and Part B--

Part 'A' of the record shall contain the following documents :--

(i) General Index;

(ii) Order Sheet;

(iii) Judgment and Orders of the court;

(iv) All pleadings, applications, affidavits or documents filed by the parties;

(v) Issues, if any;

(vi) Deposition of witnesses, if any;

(vii) Compromise;

(viii) Undertaking;

(ix) Security;

(x) Any other document which the court direct.

Rule 4-- The Part 'B' shall contain the following documents :--

i. Vakalatnama;

ii. Memo of appearance;

iii. All papers including service reports and affidavits if any, relating to service upon parties;

iv. All applications including interlocutory applications shall also be shifted in this part after their disposal;

v. The orginally filed pleadings such as writ petition/memorandum of appeal, when these pleadings have undergone amendment and amended pleadings already stand filed;

vi. Any other paper/document which is not to be kept in Part 'A' shall be kept in Part 'B';

Rule 5-- Records to be preserved permanently--Part A in all cases shall be preserved permanently.

Rule 6-- Records to be preserved for 12 years--Part B in all cases shall be preserved for 12 years.

Rule 7-- Computation of period for the preservation of Record--The period prescribed in Rules 5 and 6 for the preservation of records shall be computed from the date of the final decision of the case and in case of appeal to the Supreme Court, from the date of the final decision of the Supreme Court.

Rule 8-- Register of cases of which the records are to be destroyed to be maintained in the Record Room--A register in the form given below shall be maintained showing the number and years of appeals and other cases received in the Record Room of which the records are to be destroyed. The entries for each year shall be signed by the Record Keeper and the Deputy Registrar.

S.N. of the case	District	Date of receipt in the Record Room	Date of decision of H.C./ Supreme Court	Date when due for destruction	Dates when actually destroyed	Name and signature, who destroyed the file
1	2	3	4	5	6	7

Rule 9-- Destruction of records to be carried out in the Winter Vacation--

(i) Notice shall be publicly given on the Court Notice Board that parties leave documents and papers with the records of case at their own risk and that such papers are liable to be destroyed in accordance with the Rules for the destruction of records.

(ii) The destruction of records shall be carried out in the vacation each year. The records to be destroyed should, if they cannot be conveniently burnt, be torn up into very small pieces and made quite incapable of use again as documents. The fragments should be sold to the highest bidder, and the proceeds credited to the Government.

Rule 10-- (i) The rules under Chapter XLI notified *vide* Notification No. 162/UHC/2001 dated 3/6 October, 2001 are hereby repealed.

(ii) Any thing already done or purported to have been done under these Rules contained in Chapter XLI of the Rules of the Court, 1952 as were applicable to this Court shall not be invalid or ultra vires.

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/449–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।